

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0-2 मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी (SHRI TUSHAR JAISWAL), (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)—UP03690

वाद संख्या—

सरकार बनाम

धारा—M.V.Act

थाना—T.P.

दिनांक—11.10.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि चालान अंतर्गत मोटरयान अधिनियम दिनांक 31.12.2021 से पूर्व प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन/विचारण का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023, दिनांकित 22 मार्च 2023 के अनुसार में दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक के मुकदमें अंतर्गत मोटरयान अधिनियम, उपशमित हो जायेंगे।

अतः प्रस्तुत मुकदमा अंतर्गत मोटरयान अधिनियम, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन/विचारण का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023, 22 मार्च के आलोक में उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुकदमे की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(तुषार जायसवाल)

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)
एफ0टी0सी0-2 मुजफ्फरनगर।